न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर— 76 / 2025
निर्णय दिनांक—31.10.2025
पीठासीन अधिकारी—राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) (पश्चिम क्षेत्र) लाईन चाकसू जरिये महाप्रबंधक बृजकिशोर सोनी पुत्र धनपत प्रसाद सोनी

वादी

बनाम

1. गीता देवी पुत्री प्रहलाद जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
2. नोरती देवी पुत्री प्रहलाद जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
3. भैरूराम पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०
4. शांति देवी पुत्री प्रहलाद जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
5. रामलाल पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
6. सुवालाल पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
7. हनुमान पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
8. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर राज०।

प्रतिवादीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:— श्री विनोद कुमार जैन अधिवक्ता वादी

वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
अर्न्तगत धारा 88 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक:—31.10.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मैसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है जिसके महाप्रबंधक बृजकिशोर सोनी है जिनके द्वारा वादी के हितों के लिए उक्त वाद पेश किया जा रहा है। आराजी खसरा नम्बर 1353 रकबा 2 बीघा भूमि वाके ग्राम निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1353 में प्रतिवादीगण के पिता प्रहलाद का 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड था, जिसमें से प्रतिवादीगण के पिता प्रहलाद जाति माली के द्वारा अपने दर्ज हिस्से 1/2 में से वादी को 154.5 वर्गमीटर भूमि भारतीय तेल निगम लि० सलाया मथुरा पाइप लाइन प्रोजेक्ट सी पी लोकेशन हेतु दिनांक 20.10.2004 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र विकय कर दी और इस आशय का विकय पत्र प्रतिवादीगण के पिता प्रहलाद के द्वारा वादी के हक में उपपंजीयक फागी के यहां उक्त दिनांक 20.10.2004 को पंजीबद्ध करा दिया। उसके पश्चात उक्त खसरा नम्बर 1353 का खातेदार ने तकासमा होने पर प्रतिवादीगण के नाम खसरा नम्बर 1353 रकबा 0.2529 हैक्टेयर दर्ज हुआ उक्त भूमि में विक्रय के पश्चात 154.5 वर्गमीटर भूमि की खातेदारी वादी के नाम दर्ज होनी चाहिए लेकिन सहवन से दर्ज नहीं होने पर वर्तमान में प्रहलाद के फौत होने से प्रतिवादीगण के नाम उक्त खसरा नम्बर 1353 रकबा 0.2529 हैक्टेयर वाके ग्राम निमेडा की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
फागी

दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें से बादी 154.5 वर्गमीटर का खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 1353 में से भूमि क्रय करने के पश्चात वादी के नाम 154.5 वर्गमीटर की खातेदारी दर्ज होनी चाहिए लेकिन सहवन से वादी के नाम नामांतकरण नही खोलने से खातेदारी बदस्तुर प्रतिवादीगण के पिता प्रहलाद के नाम दर्ज रही तथा प्रहलाद के फौत होने पर उक्त भूमि खसरा नम्बर 1353 रकवा 0.2529 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज चली आ रही है। वादी के द्वारा उक्त भूमि कय करने के पश्चात उक्त भूमि के पास में स्थित अन्य भूमि कय करने के पश्चात सम्पूर्ण भूमि में वादी के द्वारा रिपिटर स्टेशन का निर्माण चारदीवारी करते हुये कर लिया जो रिपीटर स्टेशन यादी के प्रोजेक्ट के काम में लगातार लिया जा रहा है। जो मौके पर वादी के द्वारा क्रय की गई भूमि पर बना हुआ है जिसका उपयोग वाह लगातार लेता चला आ रहा है। विक्रय पत्र दिनांक 20.10.2004 के आधार पर वादी के नाम खातेदारी दर्ज होनी चाहिए लेकिन सहवन से बदस्तुर खातेदार के नाम ही दर्ज रह गई तथा उसके फौत होने पर वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज चली आ रही है। वादी के द्वारा विक्रय करने के पश्चात उसके नाम खातेदारी दर्ज नहीं होने पर वादी ने प्रतिवादीगण से कहां कि उनके की दर्ज खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1353 में से वादी ने भूमि क्रय की है जिसकी खातेदारी वादी के नाम दर्ज करवाये तथा प्रतिवादीगण के नाम खसस नम्बर 1353 रकबा 0.2529 हैक्टेयर की जो खातेदारी दर्ज है उसमें से उनके पिता के द्वारा विकय की गई भूमि 154.5 वर्गमीटर की वादी के नाम करावे इस हेतु बादी के द्वारा प्रतिवादीगण से बार बार कहा लेकिन उसके द्वारा भूमि वादी के नाम नही करवाई जिस पर वादी ने अभी दिनांक 04.06.2025 को प्रतिवादीगण से कहां कि उसके विक्रय पत्र की भूमि तहसील व कार्यालय में चलकर उसके विक्रय पत्र की भूमि तहसील कार्यालय में चलकर उसके नाम लगवाये जिस पर प्रतिवादीगण इंकार हो गये जिस पर वादी के लिए आवश्यक हुआ कि वह अपने हक में हुये विक्रय पत्र दिनांक 20.10.2004 के आधार पर अपने हक में खातेदारी दर्ज करवाये जिस हेतु उक्त वाद घोषणा का प्रस्तुत है। वादी के द्वारा विकय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 08 के कार्यालय में जाकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करने हेतु काफी प्रयास किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 08 ने कहां कि वादी सक्षम न्यायालय में जाकर चाराजोही करे जिस पर उक्त वाद घोषणा का प्रस्तुत किया जा रहा है। उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने से उनकी नियत में फितुर उत्पन्न है और वे वादी के रिपिटर स्टेशन में व्यवधान उत्पन्न करते हुये कहने लगे है कि उक्त स्टेशन उनकी खातेदारी भूमि में है यादी उसको हटा लेवे व उसका उपभोग नही करें प्रतिवादीगण के उक्त कत्यों पर वादी के लिए आवश्यक हुआ कि वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करावें। प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो गये तो वादी को असहनीय हानि होगी जिसकी भरपाई नहीं हो सकेगी इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। वाद कारण विरुद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 04.06.2025 को वादी के विकय पत्र के आधार पर खातेदारी दर्ज करवाने से इंकार करने तथा वादी को उसकी भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है। वाद अंदर मियाद पेश है। प्रतिवादी संख्या 08 भूमिधारक होने से पक्षकार कायम किया गया है जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वाद निश्चित न्यांयशुल्क बाबत घोषणा 2 रूपये व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु 2 रूपये कुल 4 रूपये कोर्टफीस स्टाम्प पर वाद प्रस्तुत है जो पर्याप्त है। पक्षकारान का निवास स्थान व विवादित आराजी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से दावा हाजा का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
फागी

संख्या 01 लगायत 07 की तरफ से वकील श्री राजेन्द्र जैन ने अण्डरटेकिंग दी थी। उसके बाद आजतक उपस्थित नहीं हुए। तामिल को एक माह से अधिक का समय हो चुका है। इसलिए प्रतिवादी स. 1 लगायत 8 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस विद्वान अधिवक्ता एकतरफा सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075 – 2078 वाके ग्राम नीमेडा के खाता सं0 340 के खसरा नं. 1353 मे प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। वादी द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्र्टड विक्रय पत्र दिनांक 20.10.2004 के द्वारा 154.5 वर्गमीटर भूमि को क्रय किया गया है। उपर्युक्त तथ्यो के आलोक मे न्यायालय वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 340 खसरा नं. 1318 / 3 रकबा 0.0759 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजी मे से वादी को मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 20.10.2004 के अनुसार 154.5 वर्गमीटर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(एकेश कुमार ...)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

मैसर्स इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम [illegible]
मुकदमा- 78/2025
निर्णय दिनांक- 31.10.2025

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

बअदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

पीठासीन- राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) (पश्चिमी क्षेत्र) जरिए [illegible] नंदकिशोर सोनी पुत्र [illegible] प्रसाद सोनी

वादी

बनाम

1. गीता देवी पुत्री प्रहलाद जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
2. नोरती देवी पुत्री प्रहलाद जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
3. [illegible] पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०
4. शांति देवी पुत्री प्रहलाद जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
5. रामलाल पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
6. मुन्नालाल पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
7. हनुमान पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
8. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर राज०।

प्रतिवादीगण

:- वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा :-

मु0न0- 78/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल रूबरू वकील वादी श्री विनोद कुमार जैन हाजिर रूबरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतोनी सं. 340 खसरा नं. 1318/3 रकबा 0.0759 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजी मे से वादी को मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 20.10.2004 के अनुसार 154.5 वर्गमीटर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।

निज......—......मुवलिग......—......बाबत......—......खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह......—......फीसदी......—......सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक......—......का अदा करे।

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.10.2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
दस्तखत............
ओहदा फागी............

मुहर

सत्यमेव जयते

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुकमनामा		
बवत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

(राकेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर